


रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
राज्य प्रवेश



सिस्टीमिजेशन एवं स्टाम्प विभाग
 सिस्टीमिजेशन एवं स्टाम्प विभाग
 Registration and Stamp Department

रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
 मध्य प्रदेश


Property Details Annexure

Property Id	1798202005142190
Property Type	PLOT
Property Landmark :	--
Property Address :	भूखण्ड क्रमांक सी-312, श्रीनाथ टाउन ग्राम भाटखेडी खोटा मंड, जिला इन्दौर म.प्र.
Block/Khas Khand (development block) :	--
Circle :	--
Layout Details :	--
Wazool/Sheet No :	--
Plot Number :	--

Khasra Details and Four Boundary Details

Khasra Number	Khasra Area	Lagaan	Rin- Pustika	East	West	North	South
भूखण्ड क्र. सी-312	37.17	0	रसगु महीना	भूखण्ड क्र. सी-303	भूखण्ड क्र. सी-303	भूखण्ड क्र. सी-313	भूखण्ड क्र. सी-311

DISTRICT	INDORE
Tehsil	MHOW
Area Type	RURAL AREA
Sub-Area Type	NON-PLANNING AREA
Patwari Halka/Village	PATWARI HALKA NO 4
Stage/Mohalla/Colony	SHREENATH TOWN (BHATKHEDI)
Total Area of Plot (sqm)	37.17
Residential Area out of Total Area (sqm)	37.17
Commercial Area out of Total Area (sqm)	--
Industrial Area out of Total Area (sqm)	--
Educational Units area approved by Nagar and Gram Nivesh Vibhag out of Total Area (sqm)	--
Whether Educational Units layout is passed by	--
Health Services area approved by Nagar and Gram Nivesh Vibhag out of Total Area (sqm)	--





रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश


Property Details Annexure

Property Id	1798202005142190
Property Type	PLOT
Property Landmark :	--
Property Address :	भूखण्ड क्रमांक सी-312, श्रीनाथ टाउन ग्राम भाटखेडी तहसील नर, जिला इन्दौर म.प्र.
Vikas Khand (development block) :	--
R. I. Circle :	--
Layout Details :	--
Nazool/Sheet No :	--
Plot Number :	--

Khasra Details and Four Boundary Details

Khasra Number	Khasra Area	Lagaan	Rin- Pustika	East	West	North	South
भूखण्ड क्रमांक सी-312	37.17	0	दागु गलेहि	फाल्गुनी की राख	भूखण्ड क्र. सी-303	भूखण्ड क्र. सी-313	भूखण्ड क्र. सी-311

District	INDORE
Tehsil	MHOW
Area Type	RURAL AREA
Sub-Area Type :	NON-PLANNING AREA
Patwari Halka/Village :	PATWARI HALKA NO 4
Village/Mohalla/Colony :	SHREENATH TOWN (BHATKHEDI)
Total Area of Plot (sqm)	37.17
Residential Area out of Total Area (sqm)	37.17
Commercial Area out of Total Area (sqm)	--
Industrial Area out of Total Area (sqm)	--
Educational Units area approved by Nagar and Gram Nivesh Vibhag out of Total Area (sqm)	--
Whether Educational Units layout is passed by	--
Health Services area approved by Nagar and Gram Nivesh Vibhag out of Total Area (sqm)	--



MP179102020A1825154 | 01011707122020012547

राजिस्ट्रीकरण एवं रटाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

सदर कालोनी में पेयजल हेतु टयुबवेल परवासे गये है, जिनसे पानी की टंकी के माध्यम से पेयजल का वितरण मेटेनेस कमेटी द्वारा नौकरी पर रखे गये कर्मिणी द्वारा समान रूप से सभी प्लाट होल्डर्स को किया जायेगा। विक्रेतापक्ष के पास जहां टयुबवेल के अलावा पेयजल का अन्य कोई साधन उपलब्ध नहीं है, यह बात क्रेतापक्ष ने भतीगति समझ ली है व मान्य की है। भविष्य में यदि वर्षा कम हुई या कोई प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ा तो विक्रेतापक्ष के विरुद्ध क्रेतापक्ष पानी की समस्या के लिये कोई दावा, झगडा, शिकायत नहीं करेगा। विक्रेता पक्ष द्वारा पानी का विक्रय नहीं किया जायेगा। कालोनी के सभी टयुबवेल इसी कालोनी के पेयजल हेतु सदैव उपलब्ध रहेंगे।

17. भवन निर्माण के लिये पानी का इंतजाम क्रेतापक्ष को स्वयं के स्रोत से करना होगा।


18. क्रेतापक्ष स्वयं के व्यय से सदर भूखण्ड को अपने नाम पर नामान्तरण करवायेगे। ग्राम पंचायत व मर्यापेटेण शासन द्वारा समय समय पर जो भी टेक्स व उपकर लगाये जायेगे अथवा वृद्धि की जायेगी उसे जमा करने का उत्तरदायित्व क्रेतापक्ष का रहेगा। भविष्य में यदि क्रेता द्वारा विक्रीत भूखण्ड में टयुबवेल कराया जाता है तो टयुबवेल (बोरिंग) कराने से पूर्व विक्रेता से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगी।

19. क्रेतापक्ष अपने भूखण्ड के सामने स्थित कालोनी की सड़क या अन्य खुली जगह पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं कर करेगा। कालोनी में राफ सफाई का पूर्ण ध्यान रखेगे और किसी भी प्रकार का प्रदुषण, ध्वनि प्रदुषण, लोडई झगडा, विवाद नहीं करेगे, एक शांतिप्रिय नागरिक के रूप में निवास करेगे।

20. विक्रेतापक्ष ने कालोनी में सीमेंट की राडके, अंडर ग्राउण्ड इनेज लाईन, अंडर ग्राउण्ड वाटर लाईन, सम्पवेल, ओवरहेड टैंक, साउण्ड्रीवाल व गेट का निर्माण किया है जो कि शासन के तय निर्देश अनुसार किया गया है और क्रेतापक्ष ने मोके पर जाकर सम्पूर्ण डेवलपमेंट को देखकर पूर्ण संतुष्टि कर ली है। भविष्य में उक्त डेवलपमेंट के रखरखाव, मेटेनेस की जवाबदारी कालोनी की मेटेनेस कमेटी व प्लाट होल्डर्स की रहेगी। विक्रेतापक्ष ने एक बार अपनी जवाबदारी अनुसार डेवलपमेंट कर दिया है।

21. विक्रेतापक्ष सम्पूर्ण कार्य पूर्ण होने पर कालोनी को स्थानीय संस्था ग्राम पंचायत या शासन के नियमानुसार सम्बधित विभाग को त्यजन कर देंगे। इसके साथ ही सभी सड़क, गार्डन व कॉमन उपयोग की जगह को भी शासन को त्यजन कर देंगे। इस विक्रयपत्र का सम्पूर्ण खर्च विक्रेतापक्ष ने वहन किया है।

22. हम इस विलेख के निष्पाटकगण शपथपूर्वक कथन करते है कि इस विलेख के अंतर्गत अंतरित की जा रही/समाविष्ट सम्पत्ति को हमने या हमारे प्रतिनिधि या समनुदेशिनी या हमारे अभिकर्ता (एजेंट) द्वारा किसी अन्य के पक्ष में रजिस्ट्रीकृत विलेख द्वारा या अन्य प्रकार से पूर्व में हस्तांतरित या स्थायी रूप से अय संक्रांत नहीं किया गया है और तदनुसार हम उपर्युक्त पैरा में कथित तथ्य का अपनी जानकारी एवं विश्वास से सही है, एवं भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 में धारा 22 क में अंतः स्थापित भाग 3 का उल्लघन नहीं है, सत्यापित करते है।



रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
राज्य प्रदेश

विक्रेतापक्ष द्वारा जमा विन्ने जानेंगे भविष्य में भी विक्रेता के हस्ताक्षरों की यदि आवश्यकता हुई तो विक्रेता पूर्ण सहयोग करेंगे। विक्रेतापक्ष ने सम्पूर्ण कालोनी का चालू चार्ज का डायवर्सन टैक्स व पंचायत उपकर जमा कराया हुआ है जो कि भविष्य में प्रत्येक प्लॉट का प्लॉट होल्डर द्वारा स्वयं जमा किया जाता रहेगा।

11. विक्रेतापक्ष ने सटर कालोनी में अंडर पाउंड ड्रेनेज लाईन डाली है। क्रेतापक्ष द्वारा उक्त भूखण्ड पर भवन निर्माण के समय 6 फीट बाय 5 फीट का रोप्टीक टैंक बनाना अनिवार्य है। उक्त रोप्टीक टैंक की लाईन ड्रेनेज लाईन से जोड़ी जाना आवश्यक रहेगी। रोप्टीक टैंक न बनाने पर व ड्रेनेज लाईन चोक हो जाने पर विक्रेतापक्ष इसका दुरस्ती का शुल्क क्रेतापक्ष से पृथक लेने के लिए अधिकृत रहेगी।


12. क्रेतापक्ष ने विक्रेतापक्ष से सभी प्रचलित निराम व उपनिराम एवं विक्रेतापक्ष को प्राप्त समस्त प्रकार के शासकीय आर्थशासकीय आदेशों को भली भाँति से पढ़ व समझ लिया है, और वे क्रेता को मान्य है। क्रेतापक्ष विकास कार्य व सभी लीगल-कॉर्पोरेशन से पूर्णतः संतुष्ट है। भविष्य में इस सम्बंध में कोई विवाद नहीं करेंगे।

13. सटर भूखण्ड के सम्बंध में विक्रेतापक्ष ने क्रेतापक्ष के अलावा अन्य किसी व्यक्ति या संस्था से कोई व्यवहार जैसे गिरवी, विक्री, लीज, टान नहीं किया है एवं उस पर कोई भार या स्वत्व न होकर पूर्णरूपेण भार मुक्त है तथा उक्त भूखण्ड क्रेता को भूमि स्वामी हक सहित अंतरित किया है। विक्रीत भूखण्ड को अनुविभागीय अधिकारी महोदय गृह के कार्यालय में बंधक रखा हुआ भी नहीं है। हर प्रकार से विक्रय योग्य है। उक्त भूखण्ड में से अन्य किसी का कोई रास्ता या ईसमेन्ट राईट नहीं है।

14. विक्रेता कंपनी के निर्देशन में सटर कालोनी के मेन्टेनेन्स हेतु प्लॉट होल्डर्स की एक समिति का गठन किया गया है। जिसका समस्त्य बनना क्रेतापक्ष के लिये अनिवार्य है। उक्त समिति द्वारा तय किया गया मेन्टेनेन्स चार्ज क्रेतापक्ष द्वारा भवन निर्माण किये जाने पर व नहीं किये जाने पर भी अटा करने की जवाबदारी क्रेतापक्ष की रहेगी। क्रेता सटस्य द्वारा उक्त समिति को प्रतिवर्ष समिति के नियमानुसार मेन्टेनेन्स राशि जमा कराई जायेगी। क्रेता सटस्य द्वारा प्रतिवर्ष अग्रिम रूप से मेन्टेनेन्स चार्ज जमा नहीं कराये जाने की स्थिति में समिति द्वारा क्रेतापक्ष (डिफाल्टर भूखण्ड धारक)को दी जा रही सभी सुविधाएँ समिति के निर्देशानुसार तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी जा सकेंगी और क्रेतापक्ष (प्लॉट होल्डर)से बकाया मेन्टेनेन्स राशि को मय पेनल्टी एवं व्याज सहित वसूल हो जाने पर समिति के नियमानुसार ही सभी सुविधाएँ बहाल की जायेगी। समिति के द्वारा बनाए गए नियम क्रेता को मान्य रहेंगे।

15. क्रेता सटस्य द्वारा कालोनी में अपने भूखण्ड पर भवन निर्माण म.प्र. पासन द्वारा लागू किये गये कानून व नियमों के अनुसार ही किया जावेगा। प्रत्येक भूखण्ड धारक को अपने भवन निर्माण के साथ भवन के सामने की ओर प्लॉट के अन्दर बागीचा लगाना व उसमें पेड़ लगाना भी आवश्यक होगा। भवन में पास नक्शे अनुसार बुला पैसेज (एम.ओ.एस) छोड़ना भी आवश्यक रहेगा।

16. क्रेतापक्ष द्वारा अपने भवन निर्माण के पूर्व ग्राम पंचायत व अन्य शासकीय विभाग से नक्शा स्वीकृत करवाकर उसकी एक प्रति विक्रेता कंपनी के पास प्रमाण स्वरूप जमा कराना आवश्यक होगा। ग्राम भांटखेडी व उसके आसपास के क्षेत्र में पानी समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है इसे देखते हुवे विक्रेतापक्ष ने



रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

// श्री //
// विक्रेता //

भूखण्ड क्रमांक सी-312, लीनाथ टाउन ग्राम भाटखेड़ी तहसील महु जिला इन्दौर

मिड इटिलय कंस्ट्रक्शन प्रा.लि. (PAN NO. AAHCM14780)
तर्फे हायरटेयर श्री विक्रेता जोशी पिता श्री सुभाषराव जोशी
पता- 1, वाडी नगर, बडवानी धार (म.प्र.).....विक्रेता/प्रथमपक्ष

और

- (1) श्रीमती ममता पति श्री संदीप कुमार, उम्र - 31 वर्ष
(आधार नंबर 4007 7129 1814)
- (2) श्री संदीप कुमार पिता श्री नन्दू, उम्र - 28 वर्ष
(पैन नंबर G/ZPK6615K)
निवासी- वाडी नगर, बडवानी मोहल्ला धरहर पीथमपुर जिला धार म.प्र.

.....क्रेता/ द्वितीयपक्ष

विक्रेतापक्ष यह विक्रय पत्र क्रेतापक्ष के हित में निम्न शर्तों एवं दायित्वों के अधिन निम्नानुसार निष्पादित कर देते है कि -:

1. यह कि विक्रेता पक्ष के भूमि स्वामी स्वत्व व आधिपत्य की भूमि सर्वे न. 180, 181, 182, 183, 184, 185/1, 185/2, 186/1, 186/2, 187, 188, 189, 190, 201, 204, 207, 208 ग्राम भाटखेड़ी तहसील महु जिला इन्दौर में स्थित है। इसी ग्राम की सर्वे नंबर 199, 200, 205, 206 की भूमि श्री राजेश भाकर की मालकी व आधिपत्य की स्थित है। श्री नरेश पिता श्री रामस्वरूप कटियार की मालकी व आधिपत्य की भूमि सर्वे न. 203/2 है। विक्रेता/प्रथमपक्ष की उपरोक्त वर्णित भूमियों का कुल रकबा 12-197 हेक्टेयर है। राजेश भाकर के स्वामित्व की भूमियों का कुल रकबा 1-323 हेक्टेयर है। तथा नरेश कटियार के स्वामित्व की भूमि का क्षेत्रफल 0-209 है। सभी भूमियों का कुल रकबा 12-197 हेक्टेयर है। रकबा 12-197 हेक्टेयर भूमि का एक ही लेआउट प्लान बनाया होकर टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग विभाग से अनुमोदित करवाया गया है।

2. ग्राम भाटखेड़ी की सर्वे न. 180, 187, 208 कुल रकबा 3.719 हेक्टेयर की भूमि विक्रेता प्रथमपक्ष ने पंजीकृत विक्रय पत्र के जरिये श्री कीर्तिकान्त शाह पिता श्री बाहीलाल शाह निवासी टेवी अहिब्या मार्ग बंधवा जिला बडवानी म.प्र. से उपपंजीयक कार्यालय महु में पंजीयन क्रमांक 2977 दिनांक 28.01.2013 के



रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

(ए) उक्त कालोनी का अभिन्यास नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा दिनांक 11/07/2014 के गैरों क्रमांक 4753 द्वारा स्वीकृत किया हुआ था जिसे पुनः संशोधित दिनांक 17/01/2017 के गैरों क्रमांक 417 के द्वारा करवाया गया है।

(बी) श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी गृह द्वारा विभिन्न विभागों से अधिमत व अनापत्ति प्राप्त की गई है जिनका विवरण व्यवहारीय आदेश में सामाविष्ट किया गया है।

(सी) न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गृह द्वारा प्रकरण क्रमांक 57/अ-2/14-15 आदेश दिनांक 20/04/2015 के द्वारा विक्रेता प्रथमपक्ष की उपरोक्त सर्वे नम्बरों में से सर्वे न. 180, 181, 182, 183, 184, 185/1, 185/2, 186/1, 186/2, 187, 188, 189, 190, 201, 204, 207, 208 कुल रकबा 9.743 हेक्टर हेतु आवासीय व्यवहारीय आदेश पारित किया हुआ था। उपरोक्त सर्वे नम्बरों के अन्तर्गत पट्टेसी भूमिस्वामी राजेश भास्कर की मालकी की भूमि सर्वे न. 199, 200, 205, 206 व नरेश कटियार की मालकी की भूमि सर्वे न. 203/2 कुल रकबा 1.532 हेक्टर भूमि का भी विक्रेतापक्ष की मालकी की उपरोक्त सर्वे नम्बरों वाली भूमि के साथ संयुक्त रूप से आवासीय कालोनी निर्माण हेतु व्यवहारीय किया गया है।

(डी) श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी गृह द्वारा कालोनाईजर रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र रजिस्ट्रीकरण क्र. 107/2016 प्र.क्र. 07-121/2015-16 दिनांक 26/10/2016 के द्वारा म.प्र. पंचायत राज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) और उसके अंतर्गत म.प्र. ग्राम पंचायत कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निबंधन तथा सर्वे नियम 1999 के अंतर्गत प्रदान की हुई है।

(इ) भूमि स्वामी द्वारा सक्षम प्राधिकारी कलेक्टर महोदय इन्दौर को कालोनी के विकास के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के प्रयोजन के लिए धनराशि कितनी जमा की जाना है उसके संबंध में पत्र लिखा मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा पंचायत इन्दौर द्वारा कालोनी विकास की अनुज्ञा शुल्क व अतिरिक्त आश्रय शुल्क जमा करने के लिए दिनांक 20.02.2017 को कहा गया। भूमि स्वामियों ने दिनांक 23.02.2017 को भुगतान किया।

(फ) दिनांक 25.02.2017 को विक्रेता प्रथमपक्ष द्वारा कालोनी विकास करने का आवेदन पत्र म.प्र. ग्राम पंचायत (कालोनी का विकास, नियम 2014) के नियम 9 के अंतर्गत मय दस्तावेजों के अर्थात् विकास की अनुज्ञा शुल्क व अतिरिक्त आश्रय शुल्क की रसीद डायवर्सन आदेश स्वीकृत अभिन्यास सहित प्रस्तुत किया। 60 दिवस की अवधि में यह आवेदन पत्र विनिश्चित किया जाता चाहिए था। 25 फरवरी 2017 के पश्चात् कभी भी कोई जानकारी अथवा पत्र विक्रेतापक्ष को प्राप्त नहीं हुआ। विक्रेता प्रथमपक्ष ने लिखित में पत्र के द्वारा तत्त्वों की जानकारी सहित लिखित पत्र दिनांक 09.06.2017 को सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया। इस प्रकार कालोनी विकास करने की डीमंड अग्रगति प्राप्त हुई।

(जी) यह कि विक्रेता द्वारा स्थापित एवं विकास अधीन उपरोक्त भूमि पर आवासीय सह-व्यवसायिक कालोनी के कार्य में म.प्र. भू-संपदा विनियामक अधि. 2017 के अंतर्गत आवश्यक पंजीयन की अनिवार्यता में विक्रेता द्वारा अपने इस प्रोजेक्ट के पंजीयन की कार्यवाही निर्धारित प्राकिया विहित शुल्क के साथ इससे




रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

विक्रय पत्र द्वारा क्रय की थी।
इसी घाम की सर्वे नम्बर 182, 183, 184, 204 कुल रकबा 1.970 हेक्टर की भूमि विक्रेता प्रथमपक्ष ने शहर इन्दौर में पंजीकृत विक्रय पत्र क्रमांक 7479 दिनांक 10.01.2013 के द्वारा श्रीमति रेखा पति श्री विनाय गुडल मिन्तारी सागर म.प्र. से क्रय की थी।
इसी घाम की सर्वे नम्बर 181, 188, कुल रकबा 0.664 हेक्टर की भूमि विक्रेता प्रथमपक्ष ने शहर महु में पंजीकृत विक्रय पत्र क्रमांक 2733 दिनांक 11.06.2012 के द्वारा कु.रिचा पिता विशालसिंह राजपूत निवासी निवासी इन्दौर से क्रय की थी। इसी घाम की सर्वे नम्बर 185/2, 186/2, कुल रकबा 0.520 हेक्टर की भूमि विक्रेता प्रथमपक्ष ने शहर महु में पंजीकृत विक्रय पत्र क्रमांक 829 द्वारा दिनांक 06.07.2011 के द्वारा श्री टीपक जेन पिता श्री नगीनचन्द्रजी जेन निवासी 13-14, धेनु मार्केट इन्दौर से क्रय की थी। सर्वे नम्बर 185/1, 186/1 कुल रकबा 0.520 हेक्टर की भूमि विक्रेतापक्ष ने पंजीकृत विक्रय पत्र के जरिये कु. निलेश्वरी पिता श्री विशालसिंह राजपूत निवासी 217, बडवानी प्लाजा, प्रथम मंजिल इन्दौर म.प्र. से क्रय की थी। यह विक्रय पत्र उप पंजीयक कार्यालय महु में पंजीयन क्रमांक 8472 दिनांक 19.03.2012 को पंजीकृत हुआ था। सर्वे नम्बर 189, 190, 201 कुल रकबा 2.299 हेक्टर की भूमि विक्रेतापक्ष ने पंजीकृत विक्रय पत्र के द्वारा श्री वाबूलाल पिता श्रीरामजी खाली निवासी घाम भाटखेडी तह. महु जिला इन्दौर म.प्र. से क्रय की थी। यह विक्रय पत्र उप-पंजीयक कार्यालय महु में दरस्तावेज क्र. 2583 पर दिनांक 17.01.2012 को पंजीकृत हुआ था। सर्वे नम्बर 207 कुल रकबा 0.765 हेक्टर की भूमि विक्रेतापक्ष ने पंजीकृत विक्रय पत्र के द्वारा श्रीमति सुशमा पति श्री विशालसिंह राजपूत निवासी 217, बडवानी प्लाजा, प्रथम मंजिल इन्दौर म.प्र. से क्रय की थी। यह विक्रय पत्र उप पंजीयक कार्यालय महु में पंजीयन क्रमांक 8473 देकर दिनांक 19.03.2012 को पंजीकृत हुआ था। सर्वे नम्बर 203/1 कुल रकबा 0.208 हेक्टर की भूमि विक्रेतापक्ष ने पंजीकृत विक्रय पत्र के द्वारा क्रय की थी। यह विक्रय पत्र उप पंजीयक कार्यालय महु में पंजीयन क्रमांक 2085 देकर दिनांक 28.10.2014 को पंजीकृत हुआ था।

3. इस प्रकार विक्रेता ने उपरोक्त सर्वे नम्बर 180, 181, 182, 183, 184, 185/1, 185/2, 186/1, 186/2, 187, 188, 189, 190, 201, 204, 207, 208 की भूमि पंजीकृत विक्रय पत्रों के द्वारा क्रय की होकर विक्रेतापक्ष सदर भूमि के स्वतंत्र मालिक, अधिपति, कब्जेधारी है एवं सदर भूमि रेवेन्यू रिकार्ड में विक्रेतापक्ष के नाम पर मालिकानाते से दर्ज है।

4. विक्रेता पक्ष कम्पनी होकर कम्पनी की ओर से समस्त कार्य करने हेतु कम्पनी के डायरेक्टर श्री विश्वास जोशी को सदर भूमि सम्पत्ति पर कालोनी के विकास, कानूनी कार्यवाही पूर्ण करने, भूखण्ड विक्रय अनुबंध करने व भूखण्ड विक्रय कर विक्रयपत्रों का निष्पादन व पंजीयन करवा देने हेतु अधिकृत किया हुआ है। कम्पनी का पंजीयन क्र. U45200MP2011PTC025473 दिनांक 22.02.2011 है।

5. उपरोक्त वर्णित सर्वे नम्बरों की कुल 12.197 हेक्टर भूमि में से रकबा 10.665 हेक्टर भूमि पर विक्रेतापक्ष ने एवं पडोसी भूमि स्वामी राजेश भाकर, नरेश कटियार ने 1.532 हेक्टर भूमि पर संयुक्त रूप से समस्त कानूनी कार्यवाही, स्वीकृति, अनुमति व अनापत्ति प्राप्त कर श्रीनाथ टाउन नामक आवासीय कालोनी का निर्माण किया है। उक्त कालोनी मगता नगर कालोनी के सामने स्थित है। कालोनी हेतु विक्रेता पक्ष विक्रेता पक्ष ने निम्नानुसार अनुमति स्वीकृति प्राप्त की हुई है :-



Registration and Stamp Department
Madhya Pradesh

35

Registration Certificate


Registration Details	
Registration Number	MP179102020A1825154
Registration Date	09/12/2020
Mode of Registration Certificate	09/12/2020
Block Name of Property (If Applicable)	159567
Consideration / Secured / Premium Amount (Rs.)	240000
Registration Fee (Rs.)	5688
Stamp Duty (Rs.)	13382
Sub-Registrar	MOHAN BANEL
Office Name	SUB REGISTRAR OFFICE MIHOW

Name: नमता
Father/Husband's Name: संदीप कुमार
Address: चौदनी नगर, सरगसा मोहल्ला धरद पीथमपुर जिला धार म.प्र., DHAR, Madhya Pradesh, INDIA

Name: संदीप कुमार
Father/Husband's Name: नन्द
Address: चौदनी नगर, सरगसा मोहल्ला धरद पीथमपुर जिला धार म.प्र., DHAR, Madhya Pradesh, INDIA

Registration Name: मिड इंडिया कंसल्टन्स प्रा.लि.
Authorized Person's Name: विश्वास जोशी
Address: 1, काशी बाग कालोनी धार (म.प्र.), DHAR, Madhya Pradesh, INDIA

Digitally signed
by MOHAN
SINGH BANEL
Date: 2020.12.09
12:21.48 IST

Signature of Sub-Registrar




कार्यालय ग्राम पंचायत भाटखेडी

तेह डा. अम्बेडकर नगर (मह), जिला इन्दौर (म. प्र.)

क्रमांक 40/P/2021

दिनांक 02/01/2021

मकान नामांतरण प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है की प्रार्थी श्री/श्रीमती समता
 पिता श्री संदीप कुमार निवासी आगरामोहल्लो चण्ड के
 होकर इन्होंने विक्रय लेख अनुसार विक्रेता श्री विश्वनाथ जोशी
 पिता श्री सुभाष वन्स जोशी निवासी कुशीवाग घाट
 से मूखण्ड क्रमांक/मकान 1-312 का क्रय किया है जिसका नामांतरण ग्राम सम्रा द्वारा पारित प्रस्ताव क्रमांक
 दिनांक द्वारा किया गया जोकि पूर्व से पश्चिम 15-3 फीट है एवं
 उत्तर से दक्षिण 30 फीट है।

जिसकी चतुर्सीमा निम्नानुसार है।


- पूर्व में :- श्री/श्रीमती श्री चण्ड
- पश्चिम में :- खण्ड 3 सी. 303
- उत्तर में :- खण्ड 3 सी. 313
- दक्षिण में :- खण्ड 3 सी. 312

अतः यह नामांतरण प्रमाण पत्र प्रार्थी के आवेदन अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा दिया जाता है।

 सचिव
 ग्राम पंचायत, भाटखेडी
 तहसील-मह, जिला-इन्दौर


 सीता
 ग्राम पंचायत, भाटखेडी
 तहसील-मह, जिला-इन्दौर

श्रीमति समता पति श्री संदीप कुमार
 श्री संदीप कुमार पिता श्री गण्डू
 प्लॉट नं. - C-312, श्रीमधु कालोनी राम-शास्त्री, तह-सह
 पिता - साहू (म. उ.)



OPTION-2
 30'

PROJECT 13'4" x 30'	DRAWING NO. A-02	CLIENT SHRI SANDEEP KUMAR	ARCHITECT SHRI RANMANN
GROUND FLOOR PLAN		SCALE 1:50	





कायलिय ग्राम पंचायत भाटखेडी

तेह डा. अम्बेडकर नगर (मह), जिला इन्दौर (म. प्र.)

क्रमांक Q/P/2020

दिनांक: 21/11/2020

अनापत्ति प्रमाण - पत्र


आवेदक श्रीमती ममता पति श्री संदीप कुमार एवम श्री संदीप कुमार पिता श्री नंदु निवासी चांदनी नगर, सरगरा मोहल्ला, धन्नड, पिथमपुर जिला धार (म.प्र.) ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दर्शाया गया है कि भूखण्ड क्रमांक C-312 श्रीनाथ टाउन ग्राम भाटखेडी तहसील महु जिला इंदौर भूखण्ड स्वामी मिड इंडिया कंस्ट्रक्शन प्रा. लि. तर्फे डायरेक्टर श्री विश्वास जोशी पिता श्री सुभाषचन्द्र जोशी निवासी 1, काशी बाग कालोनी धार (म.प्र.) से विक्रय का सहमति पत्र के आधार पर बैंक से ऋण लेकर भूखण्ड कृय एवं भवन निर्माण करना चाहते है।

उक्त भूखण्ड क्रमांक C-312 जो कि 400 वर्गफीट का है जिस पर नक्शानुसार भवन निर्माण करना चाहते है ।

आवेदन विचार कर आवेदक द्वारा कायलियत लेख अनुसार भूखण्ड रजिस्ट्री करवाकर भवन निर्माण करते है तो ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है । उक्त सम्पत्ति भकी चतुःसीमा निम्नानुसार है-

1. पूर्व में - कॉलोनी की सडक
2. पश्चिम में - भूखण्ड क्रमांक C-303
3. उत्तर में - भूखण्ड क्रमांक C-313
4. दक्षिण में - भूखण्ड क्रमांक C-311



अतः यह प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत द्वारा प्रदान किया जाता है।


ग्राम पंचायत, भाटखेडी, जिला इन्दौर (म. प्र.)
अम्बेडकर नगर (मह)

श्रीमती
अध्यक्ष

ग्राम पंचायत, भाटखेडी, जिला इन्दौर (म. प्र.)
अम्बेडकर नगर (मह)

रजिस्ट्रिकरण एवं स्टांप विभाग
राज्य गरीस



रजिस्ट्रिकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

सम्बन्धित निवेदनपत्र एवं केतापत्र में पत्रक द्वारा उनके बरिस/उत्तराधिकारी, दाय्याधिकारी, स्वयंसेविका, विधवा, उत्तरजीवी, सामूहिक, असाईनी, नागिनी, स्थानपत्र स्वकार्पण प्राप्त कार्माण, पञ्चक, अवयव्य उत्तीर्ण एवं वैध प्रतिनिधि आदि का समावेश है और यह विकल्प व इसकी समस्त शर्तें उन पर भी समान रूप से बंधनकारक रहेंगी व इनके अधिकार व नाम भी समान रूप से प्राप्त रहेंगे। उपरोक्तानुसार एक विकीर भूस्वम के विज्ञान मेस का निष्पादन केतापत्र की पूर्ण सहमति से उनके हित में निवेदनपत्र में निम्न शर्तों के समक्ष आज दिनांक को अपने हस्ताक्षरों से निश्चित कर दिया है, जो संगत रहे एवं आवश्यकतापूर्वक काम आये। केतापत्र ने भी इस विषय पत्र में निम्नी सभी बातों व शर्तों को अच्छी तरह पढ़कर, समझकर, चर्चा निष्ठा होना स्वीकार करके बगैर किसी दबाव क, स्वेच्छा से अपने हस्ताक्षर किये हैं। मन्वले ने निष्पादन के समय निष्पादकान के समक्ष निष्पादन की गवाह की है। उक्त निवेदन में सभी शर्तों, दस्तावेज, पहचानपत्र, आदि हम उभयपक्षों द्वारा जांच पुष्टि कर सर्विस एक्वाइटर से अपलोड कराये गये है, जो अपलोड कराया गया है वह भी हम उभयपक्षों द्वारा जांच, पुष्टि कर पूर्ण रूप से सतुष्ट होकर ही सम्पदा में सुरक्षित करवाकर स्लाट प्राप्त किया गया है।

